मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5

03.02.2025 को उत्तर के लिए

वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य

5. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री शंकर लालवानी :
श्री दिलीप शइकीया :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री महेश कश्यप :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के उतसर्जन में 7.93 प्रतिशत की कमी के पश्चात् वर्ष 2070 तक भारत के निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के लिए कोई ढांचा उपलबध है और कोई प्रणाली मौजूद है; और

(ग) उत्सर्जनों में कमी की सूचना देने में सरकार द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के एक पक्षकार के रूप में भारत समय-समय पर यूएनएफसीसीसी को अपने राष्ट्रीय संचार (एनसी) और द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) प्रस्तुत करता है। दिसंबर 2024 में भारत द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट (चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट) के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत का निवल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था। वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में कम था। वैश्विक रुझानों के अनुरूप, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत के जीएचजी उत्सर्जन में 7.93 प्रतिशत की कमी आई।

नवंबर 2021 में यूएनएफसीसीसी के 26वें सत्र (सीओपी 26) में भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। इसके अनुसरण में, भारत ने नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास कार्यनीति (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत की, जो वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए सात प्रमुख कार्यनीतिक बदलावों को शामिल करते हुए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इनमें i) विकास के अनुरूप कम कार्बन उत्सर्जन से विद्युत प्रणालियों का विकास, ii) एक एकीकृत, कुशल और समावेशी परिवहन प्रणाली विकसित करना, iii) शहरी डिजाइन में अनुकूलन, इमारतों में ऊर्जा और सामग्री के कुशल उपयोग और संधारणीय शहरीकरण को बढ़ावा देना, iv) समस्त अर्थ-व्यवस्था में उत्सर्जन से विकास को अलग करने और एक कुशल, अभिनव कम उत्सर्जन वाली औद्योगिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, v) कार्बन डाइऑक्साइड हटाने और संबंधित इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का विकास, vi) सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक मुद्दों के अनुरूप वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाना और vii) कम कार्बन उत्सर्जन से विकास करने के लिए आर्थिक और वित्तीय आवश्यकताएं शामिल हैं।

भारत का एलटी-एलईडीएस साझा किंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं, समानता और जलवायु परिवर्तन से निपटने में न्यायोचित साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत का निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) की आवधिक वृद्धि और कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में घरेलू स्तर पर तदनुरूपी जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, जिसमें यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा सहयोग प्रदान किया जाना है। इसके अलावा, पेरिस समझौते के तहत संवर्धित पारदर्शिता ढांचे के अनुसार, पक्षकारों को द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें अपनी एनडीसी को लागू करने और प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

*****